महोदय,

सविनय निवदेन है कि आपके द्वारा आपत्ति के माध्यम से यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि मेरे द्वारा उपरोक्त कार के भुगतान के लिए 34,260 रूपये नगद कैसे दिए गए, जबकि माह फरवरी में मेरे द्वारा मात्र 20,000 रूपये खाते से निकाले गए थे। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करने को कहा गया है कि श्री सौरभ सिंह को 13/08/2020 को 40,000/– तथा श्री चन्द्रजीत सिंह को दिनांक 30/09/2020 को 40,000/–, 03/11/2020 को 40,000/– एवं दनांक 07/11/2020 को 40,000/–रूपये क्यों भुगतान किए गए, जबकि वे दोनों मेरे परिवार के सदस्य नहीं लगते है।

इस संबंध में निवेदन करना है कि चन्द्रजीत सिंह मेरे कोर्ट मोर्हिरर थे तथा बहुधा मेरे द्वारा अपने व्यक्तिगत खर्च के लिए उन्हीं के माध्यम से चैक के द्वारा बैंक से पैसे निकलवाये जाते थे। इसके अतिरिक्त सौरभ श्रीवास्तव स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी थे, जिनके माध्यम से मेरे द्वारा दिनांक 13/08/2020 को 40,000/– अपने खर्च हेतु निकलवाये गए थे, क्योंकि न्यायालय कार्यावधि में मेरे द्वारा बैंक पैसा निकलवाने जाना संभव नहीं था। जहां तक मेरे द्वारा 34,260/– नगद भुगतान करने का प्रश्न है मेरे द्वारा 24/02/2021 को 13,260 रूपया गाड़ी लेते समय तथा 25/10/2020 को 21,000/– रूपया बुकिंग के समय भुगतान किया गया है जोकि उस समय मेरे पास नगद के रूप में मौजूद थे। जोकि खर्च के लिए पूर्व में बैंक से निकाले गए पैसों में से बचे हुए थे।

स्पष्टीकरण सादर प्रेषित।